

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 166/2019 वाद
GCMS No.- 2019/00478

आशाराम मुतबन्ना स्व. मगनलाल, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ईशाकपुरा,
तहसील निम्बाहेड़ा।

— वादी

// बनाम //

1. मु. नर्बदा बाई पत्नी स्व. मगनलाल, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी
ईशाकपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. हजारीलाल पिता गंगाराम, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ईशाकपुरा,
तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।


— प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88-209 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल चपलोट की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात वाके मौजा ईशाकपुरा की खाता संख्या 301 की आराजी नं. 18, 195 कुल किता 2 कुल रकबा 3.3400 हैक्टेयर, खाता संख्या 188 की आराजी नं. 196, 197 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4700 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम आशाराम मुतबन्ना मगनलाल जाट दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

यह आज तारीख 08.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा